

MSTP/DY No-18

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2015


[INCOME TAX]

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (2) of section 92C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with proviso to sub-rule (7) of rule 10CA of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies that where the variation between the arm's length price determined under section 92C and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed one percent. of the latter in respect of wholesale trading and three percent. of the latter in all other cases, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price for Assessment Year 2015-2016.

Explanation.- For the purposes of this notification, "wholesale trading" means an international transaction or specified domestic transaction of trading in goods, which fulfils the following conditions, namely:-

- (i) purchase cost of finished goods is eighty percent. or more of the total cost pertaining to such trading activities; and
- (ii) average monthly closing inventory of such goods is ten percent. or less of sales pertaining to such trading activities.

[Notification No. 86/2015/F. No. 500/1/2014-APA-II]


(Anchal Khandelwal)

Under Secretary to the Government of India

Done
30/10/15

Relhe

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख २१ अक्टूबर, 2015

(आय-कर)

का.आ.... (अ) केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 10गक के उपनियम (7) के परंतुक के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि जहां धारा 92ग के अधीन अवधारित सन्निकट कीमत और मूल्य, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों के मध्य अंतर, थोक व्यापार के संबंध में पत्र का एक प्रतिशत, सभी अन्य मामलों में पत्र का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिस पर वास्तव में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार होता है, निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए सन्निकट कीमत समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण,- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "थोक व्यापार" से माल के व्यापार का कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:-

- (i) ऐसी व्यापारिक क्रियाकलाप की कुल लागत का अस्सी प्रतिशत या अधिक अंतिम माल के खरीद लागत है ; और
- (ii) ऐसे व्यापारिक क्रियाकलाप में ऐसे माल की औसत मासिक अंतिम सूची का दस प्रतिशत या उससे कम का विक्रय है।

[अधिसूचना संख्या 86/2015/फा.सं. 500/1/2014-एपीए-II]

ऑचल

(ऑचल खंडेलवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार